स्टार्ट-अप व एमएसएमई इकाइयां भी पाएंगी रक्षा-एयरोस्पेस नीति का लाभ

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में पहली बार काम करने की इच्छुक स्टार्ट-अप व एमएसएमई इकाइयों को भी यूपी रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2019 के अंतर्गत लाभ देने का फैसला किया है।

सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन नीति में संशोधन को दी मंजूरी

इसके लिए नीति में पहला संशोधन करने से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है।

सूत्रों ने बताया कि स्टार्ट अप व एमएसएमई इकाइयों को लाभ देने के लिए नीति के प्रस्तर-3.3 (2) आई, में संशोधन किया गया है। अब स्टार्ट-अप व एमएसएमई इकाइयों को भी भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। आवंटित भूमि का उपयोग कंपनी नीति के अंदर परिभाषित रक्षा-एयरोस्पेस क्षेत्र से संबंधित सामग्री व साजो-सामान तैयार कर आपूर्ति करने या भविष्य में करने में कर सकेगी। इसका साक्ष्य इकाई शुरू होने पर देना अनिवार्य होगा। ऐसा न किए जाने पर भूमि का पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। ब्यूरो